न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-65/2014

सीतादेवी पुत्री स्व0 मालाराम जाति माली निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ तह0 लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- सावंरमल
2- किशनलाल
3- ओमप्रकाश
4- मनोहरलाल
5- नागरमल
6- छोटूराम

पुत्रगण स्व0 मालाराम जाति माली निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

7- नारायणी देवी पत्नी स्व0 मालाराम जाति माली निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

8- नानादेवी पुत्री स्व0 मालाराम जाति माली निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

9- शोकराम पुत्र स्व0 सन्तोष पत्नी नथमल निवासी दीनवा पुत्री मालाराम जाति माली निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

10- विनोद पुत्र स्व0 सन्तोष उम्र-16 वर्ष
11- सरोज पुत्री स्व0 सन्तोष उम्र 14 वर्ष
12- किरण पुत्री सन्तोष उम्र 12 वर्ष

नाबालिग जरिये संरक्षक भाई शोरूराम जाति माली निवासी ग्राम दीनवा तह0 लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

13- सन्तरादेवी पत्नी सांवरमल
14- सन्तरादेवी पत्नी किशनलाल
15- सन्तोषदेवी पत्नी ओमप्रकाश
16- विमलादेवी पत्नी मनोहरलाल

जाति माली निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

17- भू-धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 13-5-2014 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ।
---0---

उपस्थिति-

1- श्री किशनलाल पिलानिया एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री सज्जन कुमार सैनी एडवोकेकट- रेस्पोडेन्ट
3- श्री अभिषेक माथुर एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 20.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया/अपीलांट ने अदालत मातहत में दावा उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मणगढ में आराजी ख0नं0 147 रकबा 1.83 हैक्टर स्थित है जो वादिया एवं प्रतिवादी सं0-1 से 12 की पैत्रिक भूमि है। वादिया एवं प्रतिवादी सं0-1 से 12 मृतक मालाराम के वंशज है । जिसमें प्रतिवादी सं0-1 से 6 मालाराम के पुत्र, प्रतिवादी सं0-7 मालाराम की पत्नी, प्रतिवादी सं 8 व वादिया मालाराम की पुत्रीयां, प्रतिवादी सं0-9 से 12 मालाराम की मृतक पुत्री सन्तोष के जायन्दा पुत्र व पुत्रिया हैं ।इस प्रकार विवादित आराजी पैत्रिक होने से मालाराम की पैत्रिक सम्पत्ति में अपना नोशनल हिस्सा हिन्दू उत्तरा--धिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है । उक्त आराजी में वादिया का 1/10 हिस्सा है जिस पर वह काबिज है । वादिया को उक्त हिस्सा का बंटवारा कर अलग खाता कायम किया जावे ।तथा इस हिस्से की वादियों को खातेदार काश्तकार घोषित की जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादिया का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में अपीलान्ट ने अपने पिता की पैत्रिक भूमि ख0नं0 147 रकबा 1.83 हैक्टर में से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना नोशनल हिस्सा जो 1/10 वां बनता है उसकी उद्घोषणा का दावा किया था तथा कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा करने का दावा पेश किया था। जिसका प्रतिवादीगण ने कोई जबाब दावा पेश नहीं किया । केवल आदेश-7 नियम-11 सीपीसी पेश किया एवं आपत्तिपेश की कि विवादित आराजी पैतृक नहीं है यह आराजी मालाराम को उसके पिता से प्राप्त नहीं हुई है। तथा विक्रय पत्र के विरूद्ध सिविल न्यायायल वाद विचाराधीन है । तथा विक्रय पत्र प्रभाव में रहते वादिया कोई अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं है । इस कारण वादिया का दावा विधि वर्जित है। इन सभी तथ्यों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था तथा इन सभी तथ्यों पर जबाब दावा आने पर ही विवाद बिन्दू कायम करने के बाद ही निर्णय किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने केवल रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पेश करने मात्र से ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा को खारिज करने में कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का भी अवलोकन नहीं किया ।अदालत मातहत ने न तो अपीलान्ट के दावा का अवलोकन किया और न ही जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने विक्रय पत्र दिनांक 29-7-2004 के विरूद्ध सिविल न्यायालय में कोई वाद ही पेश नहीं किया तो वह यह दावा मातहत न्यायालय में अपने हक प्राप्त करने हेतु किसी भी कानून के तहत प्रतिबन्धित नहीं है । उसका इस भूमि में हक व हिस्सा बनता है अथवा नहीं यह बिन्दू तो अदालत मातहत द्वारा ही निर्धारित किया जाना था । तथा अपीलान्ट के 1/10 वां हिस्सा को मालाराम को बैचान करने का कानूननन कोई अधिकार नहीं है । इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 13-5-2014 के पैरा सं0-5 में यह अंकित कर भारी कानूनी भूल की है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 38, 30, 40 के अनुसार दर्ज रेकार्ड खातेदार से

उपखण्ड अधिकारी एवं

खातेदारी अधिकार उसकी सम्पत्ति में उसकी मृत्युपरान्त हीo मिलेगें न कि उसके जीवन में यहां पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा और हिन्दू उत्तरा-धिकार अधिनियम के तहत एक पुत्र व पुत्री अपने पिता के जीवनकाल में भी अपना हिस्सा उनसे प्राप्त कर सकते है । अदालत मातहत ने इन तथ्यों के विपरित अपना निर्णय दिया है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में विक्रय पत्र को भी वैध ठहरा दिया जो गलत है। यह तो दावे को मैरिट पर निर्णय करने पर किया जाना चाहिये था । विक्रय पत्र को वैध ठहराये जाने का निर्णय विधि के विपरित है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट को काज आफ एक्सन नहीं होना माना है जबकि अपीलान्ट ने अपने दावे में स्पष्ट दर्ज किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी में 1/10 वां हिस्सा बनता है जिसको बाला बाला बैचान करने पर वाद कारण पैदा हुआ है ।इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट के सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय दिया है ।जो विधि के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्जतथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक भूमि है ।जो अपीलान्ट के पिता माला को यह आराजी अपीलान्ट के दादा भाना से मिली है। विवादित आराजी पैत्रिक होने से अपीलान्ट का विवादित आराजी में सजरा खानदान के अनुसार 1/10 हिस्सा है । जिसकी उद्घोषणा कराने की अधिकारणी है किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर कोई गोर न कर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश-7 नियम-11 सीपीसी पर केवल अपीलान्ट को वाद कारण पैदा नहीं होना मानकर दावा खारिज किया जो गलत है ।जबकि अपीलान्ट ने स्पष्ट दर्ज किया है कि विवादित आराजी का विक्रय पत्र तस्दीक करने के बाद अपीलान्ट को वाद कारण पैदा हुआ है ।मेरे दावे का रेस्पोडेन्ट ने कोई जबाब दावा पेश

उपखण्ड अधिकारी एवं

नहीं किया । जबकि अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट को जबाब दावा पेश करने के बाद ही आदेश-7 नियम-11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर भी एक विवाद बिन्दू कायम कर साक्ष्य लेकर आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट का दावा महज कानूनी बिन्दू पर खारिज किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे । बहस के समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज 1263, आरआरटी 2015(1) पेज 474, आरआरटी 2015 (1) पेज 100 आरडब्लूडब्लू 2012(4) पेज 3261 पेश की।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।विवादित आराजी मालाराम की खातेदारी की है । राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 38, 30 व 40 के अनुसार दर्ज रेकार्ड खातेदार से खातेदारी अधिकार उसकी सम्पत्ति में उसकी मृत्युोपरान्त ही प्राप्त हों न कि उसके जीवित रहते ।विक्रय पत्र राजस्थान सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम अथवा पंजीयन अधिनियम में किसी भी प्रावधान का उल्घन्न नहीं हुआ है। विक्रय पत्र को अपीलान्ट जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेता राजस्व न्यायालय से कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है ।अपीलान्ट विवादित आराजी की न तो खातेदार है न ही काबिज खातेदार है । अपीलांट को किसी प्रकार का काज आफ एक्सन नहीं है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर कर अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत के निर्णय में कोई विधिक भूल नहीं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2060 से 2063 में ख0नं0 147 रकबा 1.83 हैक्टर की खातेदारी माला पुत्र भाना जाति माली दर्ज है जिस पर नोट- नामान्तरकरण सं0 2523 बैचान पत्र दिनांक 25-8-2004 के द्वारा बैचान से खाता सन्तरादेवी पत्नी सांवर मल, सन्तरादेवी पत्नी किशनलाल, सन्तोषदेवी पत्नी ओमप्रकाश, विमलादेवी पत्नी मनोहरलाल के नाम दर्ज हुआ । नामान्तरकरण सं0- 2523 विक्रय पत्र के आधार पर सन्तरादेवी पत्नी सांवरमल, सन्तरादेवी पत्नी किशनलाल सन्तोषदेवी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पत्नी ओमप्रकाश, विमलादेवी पत्नी मनोहरलाल के नाम दर्ज हुआ । विक्रय पत्र खातेदार मालाराम द्वारा उक्त चारों के नाम किया गया है ।नामान्तरकरण सं0 673 में विवादित आराजी ख0नं0 147 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भाना पुत्र सदा के फौत होने पर विरासत के आधार पर माला पुत्र भाना के नाम दर्ज किया गया है । 0 नामान्तरकरण के अनुसार विवादित आराजी भाना से विरासत के आधार पर प्राप्त हुई है । जिससे यह आराजी पैत्रिक है । अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0-1 से 12 मालाराम वंशज है ।इस कारण विवादित आराजी के बाबत केवल कानूनी बिन्दू पर निर्णय न कर प्रकरण में साक्ष्य सबूत लेकर प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना विधि संगत है । प्रार्थन पत्र आदेश-7 नियम-11 सीपीसी में उठाये गये बिन्दूओं पर भी अलग से तनकीयात कायम की जाकर जबाबदावा लेकर दावे में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित है । अतः हम प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं वह प्रकरण में जबाब दावा लेकर साक्ष्य सबूत लेते हुये अपना निर्णय गुणावगण के आधार पर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पुनः पारित करे।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-5-2014 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनातें हुये प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 10-1-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.12.2017 को सुनाया गया ।

20/12/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर